न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील सं0 2020/00151 (151/2020)

1. राजेराम पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. रामदयाल पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सोहनलाल पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. पप्पू पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. सुगनी पत्नी रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (नाम हटाया गया)
2. कमला पुत्री रामेश्वर जाति नाई निवासी 25 आरडब्ल्यू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (नाम हटाया गया)
3. रामी पत्नी प्रभु पुत्र हरखाराम जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (नाम हटाया गया)
4. सोहनलाल पुत्र प्रभु जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (नाम हटाया गया)
5. श्रवण पुत्र प्रभु जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (नाम हटाया गया)
6. कोयल पुत्री प्रभु जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (नाम हटाया गया)
7. कानाराम पुत्र लीलूराम जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. शिवभगवान पुत्र लीलुराम जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. महावीर पुत्र नत्थूराम जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. महेन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

14. निटुराम पुत्र जीराज जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

15. कालूराम पुत्र जीराज जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

16. भगमल पुत्र जीराज जाति नाई निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

17. गुड्डी पत्नी मांगेराम जाति नाई निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (नाम हटाया गया)

18. रोहिताश पत्नी दुलीचंद जाति नाई निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। (नाम हटाया गया)

19. ममता पत्नी सतपाल जाति नाई निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (नाम हटाया गया)

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र. सं0 104/2010 अनवान रामेश्वर बनाम प्रभु आदि

श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से

इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 7, 8, 10

श्री आशीष भिड़ासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 6, 11 से 19

श्री रविन्द्र गोदारा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 30.07.21

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हरखाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में वर्णित चक 25 आरडब्ल्यू डी की भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया [illegible] में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। उनका जवाब बंद किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई जिरह नहीं की गई। प्राथमिक डिक्री पारित कर [illegible] से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये जिस पर वादी ने आपत्ति की एवं दिनांक 19.03.2020 को पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वाद में अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने

उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने आवश्यक हैं। वादग्रस्त भूमि में चक 25 आरडब्ल्यू डी की 7.959 है0 में 7.451 हे0 कमाण्ड व 0.506 है0 अनकामण्ड चक 24 आरडब्ल्यू डी में कुल 5.568 है0 में 3.442 है0 कमाण्ड व 2.126 है0 अनकामण्ड भूमि है जिसमें से अपीलाण्ट को अधिक अनकमाण्ड भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव में चक 25 आरडब्ल्यडी की भूमि का विभाजन नहीं किया गया है इसलिए अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी है। विभाजन प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व तहसीलदार अथवा पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट या अन्य किसी पक्षकार को कोई सूचना नहीं दी गई व मौका पर जांच किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। तहसीलदार स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया पक्षकारों को सुना नहीं गया। विचारण न्यायायल ने उक्म आपत्ति का बिना कोई निस्तारण किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी है। भूमि में आने जाने के लिए रास्ते आदि का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अपीलाधीन निर्णय बिना कोई जांच किये व विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है जो खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरडी 2013 पेज 714, आरआरटी 2019 पेज 1050, आरआरटी 2018–19 पेज 410 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन प्रस्ताव सही है तथा मुताबिक प्रस्ताव वाद डिक्री किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में वादी के वारिस रामकुमार, रामदयाल, राजेराम पि0 रामेश्वर के हिस्सा में भूमि दर्शाई गई है तथा जमाबन्दी में भी वादी के वारीसों में से रामकुमार रामदयाल राजेराम पि0 रामेश्वर के नाम ही भूमि दर्ज है। दो बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया था बार बार आपत्ति करने पर उसका निस्तारण किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है जो विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का वाद था जो डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि

की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.03.2020 को प्रेषित पत्रांक से होती है। जिसके द्वारा पटवारी हल्का लालपुरा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव को अग्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर केवल पटवारी के हस्ताक्षर हैं। पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2019 (2) पेज 1050 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को स्वयं की सील व हस्ताक्षर से तैयार करना आवश्यक है। प्रकरण में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किया गया नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि तहसीलदार से राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) राजस्थान अजमेर नियमों के नियम 18 से 21 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर एवं उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2020 निरस्त किया जाते हैं एवं प्रकरण विचारण को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) राजस्थान अजमेर नियमों के नियम 18 से 21 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर एवं उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

9. आदेश आज दिनांक 30.7.21 .....को लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

30/7/21

(करतारसिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़